



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 882 वर्ष 2026

रुखसाना बेगम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रत्नेश श्रीवास्तव, विनोद कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका को अप्रमाणित मानते हुए खारिज करने की प्रार्थना की है।
2. तदनुसार, याचिका को अप्रमाणित मानते हुए खारिज किया जाता है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"